



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246909  
CG-DL-E-01072023-246909

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ 9, 1945

No. 158]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

(मामला संख्या: एडी (एसएसआर)04/2023)

**विषय- चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेटा फेनीलीन डायामाइन"(एमपीडीए) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।**

फा. सं. 07/06/2023-डीजीटीआर.—1. समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेटा फेनीलीन डायामाइन" (एमपीडीए) (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच करने का अनुरोध किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए, तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

### क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/4/2012-डीजीएडी दिनांक 19 जून, 2012 के माध्यम से शुरू की गई थी। इसी जांच में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/4/2012-डीजीएडी दिनांक 17 सितंबर, 2013 द्वारा जारी किए गए थे जिसमें सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 मार्च, 2014 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की पुष्टि की गयी थी। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था जिसके बाद प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 7/2/2018-डीजीएडी दिनांक 26 फरवरी, 2018 के माध्यम से पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी। उसी एसएसआर जांच में सं. 7/2/2018-डीजीएडी दिनांक 13 दिसंबर, 2018 के माध्यम से जारी अंतिम जांच परिणाम में सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 5/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जनवरी, 2019 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू किए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने और वृद्धि करने की पुष्टि की गई थी। इस प्रकार लागू शुल्क 23 जनवरी, 2024 को समाप्त होना निर्धारित है।

### ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

*“2. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद “मेटा फेनीलीन डायामाइन” (एमडीपीए) है। वाणिज्यिक रूप से इसे एमपीडी या एमपीडीए भी कहा जाता है। सामान्य(कमरे) की स्थिति में यह एक रंगहीन या सफेद रंग का ठोस है जो भंडारण पर हवा में लाल, बैंगनी (गाढ़े रंग) का हो जाता है। मेटा फेनीलीन डायामाइन के मेटापोजीशन में एक दूसरे के संबंध में एक बेंजीन रिंग के साथ लगे हुए दो एमीनो समूह होते हैं। यह ओ-फेनीलीन डायामीन (ऑर्थोफेनीलीन डायामीन) और पी-फेनीलीन डायामीन (पैराफेनीलीन डायामीन) का एक आइसोमर है। मेटाफेनीलीन डायामीन एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। एमपीडीए एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में डाई, इजीनियरिंग पॉलीमर, एरामिड फाइबर के विनिर्माण में और फोटोग्राफी तथा चिकित्सा अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।”*

5. मेटा फेनीलीन डायामीन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 (जैविक रसायन) के अधीन शीर्ष 2921 और उपशीर्ष 29215120 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

6. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा पहले की गई जांच में परिभाषित है।

### ग. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। प्राधिकारी ने पूर्व जांच में यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। वर्तमान आवेदन मूल शुल्क का समय बढ़ाने की समीक्षा के लिए है और चूंकि वर्तमान और मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद समान है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह माना गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु “समान वस्तु” हैं।

### घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन मै. आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। एक अन्य उत्पादक अर्थात् मै. अनुपम रसायन है जिसने 2019-20 से भारत में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण शुरू किया है। मै. अनुपम रसायन ने आवेदन का समर्थन किया है और क्षमता उत्पादन, बिक्री मात्रा और मूल्य संबंधी सूचना प्रदान की है।

9. आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि न तो उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक/उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है। इसके अलावा, समर्थक के साथ आवेदक कुल भारतीय उत्पादन का उत्पादक है।

10. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति मापदंड को पूरा करता है।

#### ड. संबद्ध देश

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

#### च. पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

##### सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि संबद्ध वस्तु के उत्पादक उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार परिकल्पित किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने बताया है कि केवल भारत और चीन ही संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं और इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आवेदक ने तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद घरेलू उद्योग की लागत पर विचार करते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

14. हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियां देने की और इस अधिसूचना में विहित समय सीमा के भीतर अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में विधिवत रूप से साक्ष्यांकित दावे करने की सलाह दी गई है।

##### निर्यात कीमत

15. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों का प्रयोग करके निर्यात कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार किया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय मालभाड़ा के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

##### पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से काफी अधिक है, इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यातित किया जाना जारी है।

#### छ. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

17. संबद्ध देश से आयात कीमत की मात्रा और मूल्य, सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग के खराब होते हुए कार्य निष्पादन, चीन के उत्पादकों के पास भारी मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता, अत्यधिक निर्यातोन्मुख होना, चीन के उत्पादकों द्वारा क्षमता का विस्तार, भारतीय उद्योग की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति की संभावना है। आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना प्रथमदृष्टया पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

#### ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा

संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

### झ. जांच की अवधि

19. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि (पीओआई) जनवरी 2022 – दिसंबर, 2022 तक (12 माह) की है। तथापि, प्राधिकारी 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की पीओआई पर विचार करते हैं। 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि का क्षति अवधि के रूप में प्रस्ताव किया गया है। क्षति जांच अवधि में 2019 – 20, 2020 – 21, 2021 – 22 और जांच की अवधि शामिल होगी। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की भी क्षति और पाटन की संभावना निर्धारित करने के लिए जांच की जा सकती है।

### ञ. प्रक्रिया

20. वर्तमान समीक्षा जांच में अधिसूचना सं. 14/4/ 2012-डीजीएडी दिनांक 17 दिसंबर, 2018 तथा अधिसूचना सं. 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 13 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।

21. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

### ट. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) और [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) तथा उसकी प्रति [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) तथा [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in). पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देश से ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 22 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

### ठ. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) और [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) तथा उसकी प्रति [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) तथा [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in). पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हितों (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

#### ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसे सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखने के तौर-तरीक तैयार किए जा रहे हैं।

#### त. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30<sup>th</sup> June, 2023

**Case no. AD SSR 04/2023**

**Subject : Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on import of “Meta Phenylene Diamine (MPDA)” originating in or exported from China PR.**

**F. No. 7/06/2023-DGTR.**—1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “Anti-Dumping Rules”), M/s Aarti Industries Limited (hereinafter referred to “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), for sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of “Meta Phenylene Diamine (MPDA)” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition the Authority is required to review whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**A. Background of the previous investigations**

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/4/2012-DGAD dated 19<sup>th</sup> June 2012. In the same investigation, final finding was issued vide No. 14/4/2012-DGAD, dated 17<sup>th</sup> December 2013 confirming imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, which was implemented vide Customs Notification No. 11/2014 – Customs (ADD) dated 11<sup>th</sup> March 2014. The said duties were imposed for a period of 5 years following which the first sunset review investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 7/2/2018-DGAD, dated 26<sup>th</sup> February 2018. In the same SSR investigation, final finding was issued vide No. 7/2/2018-DGAD, dated 13<sup>th</sup> December 2018 confirming the extension and enhancement of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, implemented vide Customs Notification No. 5/2019-Customs (ADD) dated 24<sup>th</sup> January 2019. The duties so imposed are set to expire on 23<sup>rd</sup> January 2024.

**B. Product Under Consideration (PUC)**

4. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

*“2. The product under consideration in the present investigation is ‘Meta Phenylene Diamine’ (MPDA). Commercially, it is also called MPD or MPDA. Under normal (room) conditions, it is a colourless or white colour solid, which tends to turn red, purple (dark colour) in air, on storage. Meta Phenylene Diamine has two amino groups attached to a Benzene ring, at Meta position, with respect to each other. It is an isomer of o- Phenylene Diamine (Ortho Phenylene Diamine) and p-Phenylene Diamine (Para Phenylene Diamine). Meta Phenylene Diamine functions as a chemical intermediate. MPDA as a chemical intermediate is used for manufacturing dyes, engineering polymer, aramid fiber and in photography & medical applications.”*

5. Meta Phenylene Diamine is classified under Chapter 29 (Organic Chemicals) of the Customs Tariff Act under head 2921 and sub heading 29215120.

6. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation.

**C. Like Article**

7. The applicant has claimed that there is no difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The Authority in the previous investigation held that the products being

manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present application is for review of the extension of original duty and since the product under consideration for the present and original investigation is same, it is *prima facie* considered that the subject good produced by the domestic industry and the subject good imported from the subject country are "like article".

**D. Domestic Industry and standing**

8. The application has been filed by M/s Aarti Industries Limited. There is one more producer, namely, M/s Anupam Rasayan, which started manufacturing the subject goods in India since 2019-20. M/s Anupam Rasayan has supported the application and has provided information on capacity, production, sales volume and value.
9. The production by the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production. The applicant has certified that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter/producer from the subject country or importers in India. Further, the applicant alongwith the supporter accounts for the total Indian production.
10. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

**E. Subject country**

11. The country involved in the present sunset review investigation is China PR.

**F. Likelihood of continuation or recurrence of dumping**

**Normal Value**

12. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 of Annexure I to the Rules.
13. The applicant has submitted that India and China are the only producers of the subject goods and thus the normal value could not be determined based on the price prevailing in market economy third country. The applicant has determined the normal value based on price payable in India considering the cost of the domestic industry after addition of reasonable profits.
14. The interested parties are advised to offer their comments and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value, having regard to the provisions of Para 7 of Annexure – I within the time limits prescribed in this notification.

**Export Price**

15. The applicant has determined export price using DGCI&S published data. The Authority has considered transaction wise import data procured from DGCI&S. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight to determine the ex-factory export price.

**Dumping Margin**

16. Considering the normal value and the export price, the dumping margin is not only above *de minimis* level, but also significant. There is *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export prices, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country continues to be exported at dumped prices, inspite of anti-dumping duty in force.

**G. Likelihood of continuation or recurrence of Injury**

17. There is *prima facie* evidence of likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of duty, considering the volume and value of import price from the subject country, positive dumping margin and injury margin, performance of the domestic industry which has deteriorated, significant freely disposable capacities of Chinese producers, high export orientation, capacity expansion by the Chinese producers, vulnerability of the Indian industry. The information provided by the applicant, *prima facie*, show likelihood of dumping and injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

**H. Initiation of sunset review investigation**

18. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry and having satisfied itself, on the basis of the evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/recurrence of dumping

and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

#### **I. Period of Investigation**

19. The period of investigation (POI) proposed by the applicant is January 2022 - December 2022 (12 Months). The Authority, however, considers the POI as 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The period 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation has been proposed as the injury period. The injury investigation period will cover the periods 2019 – 20, 2020 – 21, 2021 – 22 and the period of investigation. The data beyond the period of investigation may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

#### **J. Procedure**

20. The present review investigation covers all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/4/2012-DGAD, dated 17<sup>th</sup> December 2018 and Notification No. 7/2/2018- DGAD, dated 13<sup>th</sup> December 2018. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury.
21. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

#### **K. Submission of Information**

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) and [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) with copy to [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
23. The known exporters in the subject country, the Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 22 above.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

#### **L. Time Limit**

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) and [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) with copy to [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

#### **M. Submission of information on confidential basis**

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-



confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**N. Inspection of Public File**

37. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

**O. Non-cooperation**

38. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority